न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 106/2010(162/2006)

वादीगणः—

1. मंगलाराम पुत्र देरामराम जति चेधरी नविासी भलरों का बाडा, तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. तिलोकाराम पुत्र देरामराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. जोधाराम पुत्र देवाराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. जगाराम पुत्र देवाराम जाति चौधरी नविासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. रामचन्द्र पुत्र देवाराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. हस्तीमल पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. हीरसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. बाबुसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. नारायणसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. श्रीमती नेनू पत्नी खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. पपिया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. मांगीया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. ढलीया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिकना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

10. सोना पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम

10/1 मोहनसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

10/2 गुलाबसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

10/3 छगनसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

10/4 जीवराज पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

10/5 श्रीमती फूलदेवी पत्नी सोना उर्फ सोनसिंह

जातियान राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

11. हडमान पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

12. भोपा पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

13. हरीया पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

14. रामा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

15. जसा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

16. माना पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

17. जवारा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित के कायम मुकामः—

17/1 लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवारा उर्फ जवाहरसिंह

17/2 श्रीमती हवा कंवर पत्नी जवारा उर्फ जवाहरसिंह

जातियान राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

17/3 श्रीमती राणी पुत्री जवारा उर्फ जवाहरसिंह पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कनोडिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

दावा बाबत स्थाई [illegible] आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: Self Attested

उपस्थितः—

श्री [illegible]पसिह भाटी अधिवक्ता वादीगण

[illegible]

दिनांकः—24.09.2025

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध रा.का.अ. की धारा [illegible]88 के तहत पेश किया है। वाद पत्र. का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादीगण की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा होतरडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 30 रकबा 161.07 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के बदिशा पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 के नये खसरा संख्या 215/29,29/9 नये खसरा 234/29 ,29/8 के नये खसरा 223/29, 29/7 , के नये खसरा 222/29, 29/6 के नये खसरा 221/29, 29/5 के नये खसरा 220/29 व 29/4 के नये खसरा 219/29 की कृषि भूमि अवस्थित है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि में बिना किसी रोकटोक, निर्विवाद एंव निर्वधन रूप से काबिज है व लगातार काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य पुराना सेडा जो वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक काफी बडी माठ बनी हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य जो सेडा आया हुआ है व काफी उंचाई में धोरापाली बनी हुई जिस पर कभी भी प्रतिवादीगण का मालिकाना हक कब्जा काश्त व किसी भी प्रकार से कोई हक या अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण ने वादीगण की अनुपस्थित में वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य सेटलमेन्ट से बनी माठ को तोडकर वादीगण के खते में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सेडे को तोडने की कोशिश कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया प्रतिवादी संख्या 15 से 17 प्रतिवादी के नजदीकी रिश्तेदार होने से वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर भूमि को हडपने का प्रयासरत है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की हक हकूक की भूमि पर अतिक्रमण जबरन कब्जा करने के प्रयास किये जाने के प्रतिवादीगण की गैर जिम्मेदारान हरकतों को रोकने एवं वादीगण की भूमि को क्षति पहुंचाने से रोकने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। अधिवक्ता श्री लादूराम चौधरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की ओर वकालतनामा व वादीगण के वाद–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी संख्या 1– आया वादी मौजा होतरडा के खसरा संख्या 30 रकबा 161.07 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे वादीगण)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

तनकी संख्या 2 – सहायता

विवेचन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्लयू 1 वादी मंगलाराम व पी.डब्लयू 2 मंगलाराम के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य खसरा संख्या 30 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, वादग्रस्त खसरा के फोटोग्राफ प्रदर्श 3 से 31, फौजदारी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

मुकदमे की निर्णय की प्रमाणित नक्शा प्रदर्श 32 मौका निरीक्षण प्रदर्श 33, नक्शा प्रदर्श 34 व खेत क फोटोग्राफ की नेगेटिव प्रति प्रदर्श 35 से 69 फोटो स्टूडियों की रसीद भुगतान प्रदर्श 70 प्रदर्शित करवाए गए।

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा पैरवी नही करने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने के कारण तनकीयात पर विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण तनकीयात पर विवेचना नहीं की गई।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वक्त बहस वादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा होतरडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 30 रकबा 161.07 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के बदिशा पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 के नये खसरा संख्या 215/29,29/9 नये खसरा 234/29 ,29/8 के नये खसरा 223/29, 29/7 , के नये खसरा 222/29, 29/6 के नये खसरा 221/29, 29/5 के नये खसरा 220/29 व 29/4 के नये खसरा 219/29 की कृषि भूमि अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य वक्त सेटलमेन्ट से पुराना सेडा पर काफी बडी माठ बनी हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य जो सेडा आया हुआ है व काफी ऊँचाई में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण का मालिकाना हक कब्जा काश्त व किसी भी प्रकार से कोई हक या अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की अनुपस्थित में वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य सेटलमेन्ट से बनी माठ को तोडकर वादीगण के खते में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सेडे को तोडने की कोशिश कर अतिक्रमण करने का प्रयासरत है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की हक हकूक की भूमि पर अतिक्रमण जबरन कब्जा करने प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी भूमि के कुदरती माठ,सेढा व तारबंदी को नष्ट करने हेतु प्रयासरत है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया । तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेज एवं साक्ष्य सबूत का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया। वादी साक्ष्य पी.डब्लयू 1 व पी.डब्लयू 2 ने अपने बयानो में वादीगण व प्रतिवादीगण के खसरान के मध्य वक्त सेटलमेन्ट से स्थित मा[illegible]डकर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर[illegible] वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 32 [illegible] में दर्ज मूल प्रकरण संख्या 251/2006 (सीआईएस नम्बर 617/2014 की प्र[illegible]णित प्रति) के निर्णय दिनांक 01.12.2017 में माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्णय में वादग्रस्त भूमि वादीगण का होना बताया तथा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान होने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर अतिचार करने बताया है। वादीगण साक्ष्य व वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श के अध्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

से यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सीमाज्ञान व विवादित भूमियों के नेखमबंदी का ज्ञान नहीं होने के कारण दोनो पक्षो में तनाजा रहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 17 जबरन वादीगण व प्रतिवादीगण खसरान के मध्य स्थित पुरानी माठ को तोडकर वादीगण के खातेदारी खसरा संख्या 30 रकबा 161.07 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है, ऐसी सूरत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी भूमि मौजा होतरडा के खेत खसरा नम्बर 30 रकबा 161.07 बीघा भूमि पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके एंजेट, मजदूर, ठेकेदार, परिवार के सदस्य किसी प्रकार का कोई दखल, हस्तक्षेप, अतिक्रमण, अवरोध, न्यूसेंस, निर्माण नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के सेढा, माठ व तारबंदी के अलामात किसी भी रूप में नष्ट नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीगणः–

1. मंगलारम पुत्र देरामराम जति चेधरी नविासी भंलरों का ाडा, तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. तिलोकाराम पुत्र देरामराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. जोधाराम पुत्र देवाराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. जगाराम पुत्र देवाराम जाति चौधरी नविासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. रामचन्द्र पुत्र देवाराम जाति चौधरी निवासी भलरों का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. हस्तीमल पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. हीरसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. बाबुसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. नारायणसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. श्रीमती नेनू पत्नी खेतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. पपिया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. मांगीया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
9. ढलीया पुत्र भीमाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
10. सोना पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम

    10/1 मोहनसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

    10/2 गुलाबसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

    10/3 छगनसिंह पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

    10/4 जीवराज पुत्र सोना उर्फ सोनसिंह

    10/5 श्रीमती फूलदेवी पत्नी सोना उर्फ सोनसिंह

    जातियान राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
11. हडमान पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
12. भोपा पुत्र मूलाजी जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
13. हरीया पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
14. रामा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
15. जसा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
16. माना पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
17. जवारा पुत्र शिवनाथ जाति राजपुरोहित के कायम मुकाम

    17/1 लक्ष्मणसिंह गोद पुत्र जवारा उर्फ जवाहरसिंह

    17/2 श्रीमती हवा कंवर पत्नी जवारा उर्फ जवाहरसिंह

    जातियान राजपुरोहित निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

    17/3 श्रीमती राणी पुत्री जवारा उर्फ जवाहरसिंह पत्नी जीवराजसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कनोडिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

प्रकरण संख्या :– 106 / 2010(162 / 2006) निर्णय दिनांकः – 24.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह भाटी अधि... मिनजानिव मुद्दई पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण... खातेदारी भूमि मौजा होतरडा के खेत खसरा नम्बर 30 रकबा 161.07 बीघा भूमि पर इस आशय क... शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके एंजेट, मजदूर, ठेकेदार, परिवार के सदस्य किसी प्रकार का कोई दखल, हस्तक्षेप, अतिक्रमण, अवरोध, न्यूसेंस, निर्माण नहीं करे तथा वादीगण की खातेदारी भूमि के सेढा, माठ व तारबंदी के अलामात किसी भी रूप में नष्ट नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.09.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:42:09 IST
Reason: SelfAttested